तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2022-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 21 मार्च, 2023

अव.अ. (सिविल) 12/2023 एवं सि.वि.आ. 13277/2023

अरविंद मलिक ....अपीलार्थी

द्वारा : श्री संदीप शर्मा, श्री दिव्यांशु नौटियाल, श्री अमित उपाध्याय, श्री अमूल्य उपाध्याय, श्री विनीत सिंह, श्री बसंत लाल, श्री बी. बी. शर्मा, श्री उज्ज्वल गौतम, श्री इकबाल खान, श्री नदीम अहमद, सुश्री आकांक्षा राज, श्री अनिल पांडे, श्री तपेश आर, श्री अमितेश गिरोती और श्री चंदन कुमार मंडल, अधिवक्तागण ।

बनाम

प्रणिता कपूर एवं अन्य प्रत्यर्थीगण

: श्री देश दीपक, श्री राजन त्यागी, श्री उमंग त्यागी और सुश्री विजेता मुखर्जी, प्र-1 के अधिवक्तागण।

तिहाड़ जेल के लिए सहायक उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह और मुख्य आरक्षी अशोक कुमार ।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्ण

निर्णय (मौखिक)

1

1. वर्तमान अपील के द्वारा, अपीलार्थी निम्नलिखित राहत की मांग कर रहा हैः

"क.) अपील पूर्णतया स्वीकृत एवं सि.वि.(मुख्य) सं. 484/2020 शीर्षक परिणीता कपूर एवं अन्य बनाम अरविन्द मलिक एवं अन्य एवं अव.मु.(सि.)० 224/2021 में न्यायालय अभिलेख के लिए समन/कॉल |

ख.) परिणीता कपूर एवं अन्य बनाम अरविन्द मलिक एवं अन्य मामले में माननीय न्यायाधीश सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 16.03.2023 के आक्षेपित निर्णय/अंतिम आदेश को रद्द करना और/या संशोधित करना एवं ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में भी अपीलकर्ता को बरी करने के लिए।"" "."

2. अव.मु.(सिविल) 224/2021 में 'परिणीता कपूर एवं अन्य बनाम अरविन्द मलिक में पारित दिनांक 16.03.2023 के निर्णय द्वारा न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को छह महीने के साधारण कारावास के साथ 2,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, उसे पंद्रह दिनों का और साधारण कारावास भुगतना होगा।

3. आज, अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि उक्त समझौते के अनुसार, पक्षकारों के बीच एक समझौता हुआ है और कथित समझौते के अनुसार, इसमें प्रत्यर्थीगण को रु. 23, 00, 000/- की राशि का भुगतान किया गया है।

4. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं करते है कि प्रत्यर्थी के पक्ष में रु. 23, 00, 000/- की राशि का भुगतान किया गया है, और इस तथ्य की पुष्टि उन प्रत्यर्थीगण द्वारा भी की गई है जो न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते है कि 16. 03. 2023 दिनांकित दोषसिद्धि आदेश/निर्णय को संशोधित किया जाए और अपीलार्थी को उस दंड पर रिहा किया जाए जो वह पहले ही भुगत चुका है।

6. यह नोट किया जा सकता है कि उक्त समझौते के अनुसार, जिसमें इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि पक्षकारों के बीच लंबित मामलों को वापस ले लिया जाएगा/निपटाया जाएगा।

7.तदनुसार, दोनों देशों के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए पक्षकार, हम इसके द्वारा, दिनांक 16.03.2023 के दोषसिद्धि आदेश/निर्णय को बरकरार रखते हुए, कथित दंड को उस सीमा तक संशोधित करते हैं जिस तक अपीलकर्ता द्वारा पहले ही गुजारा जा चुका है।

8. लंबित आवेदन के साथ वर्तमान अपील का निपटान किया जाता है।

9. इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल प्राधिकारी को भेजी जाए और इसकी प्राप्ति पर, संबंधित जेल प्राधिकारी को अपीलार्थी को जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(सुरेश कुमार कैत) न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा) न्यायाधीश

21 मार्च, 2023/एस.शर्मा

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2022-डीबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*